मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 30, शक संवत् 1948)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,5,6,7,8,9,10 एवं 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 109 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 137 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य ने सायडाडा से अकोड़ा-स्योडा पहुंच मार्ग पूर्ण न कराया जाना ।

(2) श्री नारायण पटेल, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र मांधाता में इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध परियोजना प्रभावित विस्थापितों के लंबित प्रकरणों का निराकरण हेतु कार्यालय खण्डवा को यथावत रखा जाना ।

(3) श्री बाला बच्चन, सदस्य ने राजपुर विधान सभा क्षेत्र में सोलर पार्क योजना हेतु अधिग्रहित भूमि के कारण ग्रामवासियों का रोजगार एवं अन्य अधिकारों से वंचित होना ।

(4) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पामाखेड़ी एवं परसोरिया में जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं के लाभ हेतु पर्याप्त स्टॉफ की व्यवस्था की जाना ।

(5) श्री विपीन जैन, सदस्य ने घोड़ारोज व जंगली सुअरों के आतंक से किसानों की फसलों को नुकसान होना।

(6) श्री घनश्याम चंद्रवंशी, सदस्य ने पोलायकलां स्थित कृषि उपज मण्डी को मुख्य कृषि उपज मण्डी बनाया जाना ।

(7) श्रीमती रीति पाठक, सदस्य ने सीधी शहर में गंदे पानी की निकासी हेतु सीवर लाईन की व्यवस्था की जाना ।

(8) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य ने आदिवासी बहुल विकास खण्ड मुख्यालय घुघरी में शासकीय महाविद्यालय की स्थापना न होने से आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित होना ।

(9) श्री सुरेश राजे, सदस्य ने शासकीय वृन्दा सहाय कॉलेज डबरा के भवन से मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण, बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत एवं जल निकासी की व्यवस्था की जाना ।

(10) श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य ने अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ विकासखण्ड के अंतर्गत बोरी क्षेत्र में आदिवासी विधवा महिला के साथ घटित घटना के संबंध में।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **सुश्री निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री** द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2007 की धारा 20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-2026 पटल पर रखा गया.

(2) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री** द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) के तहत बनाये गये मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 की कंडिका 56 की उप कंडिका (1) की अपेक्षानुसार आयुक्त, दिव्यांगजन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-2026 पटल पर रखा गया.

(3) **श्रीमती कृष्णा गौर, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, राज्य मंत्री** द्वारा

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025, एवं

(ख) विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार निम्न अधिसूचनाएं :-

(i) 125/मप्रविनिआ/2026 दिनांक 20 जनवरी, 2026,

(ii) 401/मप्रविनिआ/2026 दिनांक 12 मार्च, 2026, तथा

(iii) 888/मप्रविनिआ/2026 दिनांक 27 मई, 2026 पटल पर रखे गए.

(4) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री** द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखा गया.

(5) **श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री** द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा गया.

(6) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री** द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा गया.

(7) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री** द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित, भोपाल का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021, एवं

(ख) नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024, पटल पर रखे गए.

4. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होना एवं भुट्टा पार्टी का आयोजन

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ''आज भोजनावकाश नहीं होगा, सभी सदस्यों के लिए भोजन लॉबी में उपलब्ध रहेगा, आप सभी अपनी-अपनी सुविधानुसार भोजन प्राप्त कर सकते है. आज सायंकाल 7.30 बजे के बाद संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा भुट्टा पार्टी एवं भोज का आयोजन है. आप सब उनकी ओर से आमंत्रित है. ''

5. ध्यानाकर्षण

(1) **श्री अजय विश्नोई, सदस्य,** जबलपुर जिले के मझौली विकासखण्ड में शासकीय उपार्जन योजना के तहत धान व गेहूं की राशि का भुगतान न किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री गोविन्द सिंह राजपूत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री अभय मिश्रा सदस्य एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने भी चर्चा में भाग लिया.

{सभापति महोदय (श्री लखन घनघोरिया) पीठासीन हुए}

(2) **श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य,** परासिया के ग्राम जमुनिया जेठू स्थित ग्रीन लाईट एसीसी ब्लाक्स फैक्ट्री में हुये विस्फोट में घायल मजदूरों को कम्पनसेशन राशि का भुगतान कराए जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्रीमती कृष्णा गौर, राज्य मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री ने भी चर्चा में भाग लिया.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

6. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 23-करैरा (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री रमेश प्रसाद खटीक एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 40-नरयावली (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, इंजी. प्रदीप लारिया को विधान सभा के जुलाई, 2026 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) **इंजी. प्रदीप लारिया, सभापति** ने याचिका एवं अभ्यावेदन समिति का याचिकाओं से संबंधित बारहवां से इक्कीसवां एवं अभ्यावेदनों से संबंधित पैंतालीसवां से पचासवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
(2) **श्री रमेश मेन्दोला, सभापति** ने प्रत्यायुक्त विधान समिति ने षष्टम, सप्तम् एवं अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
(3) **श्रीमती अर्चना चिटनीस, सभापति** ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पंचम् से उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
(4) **श्री हरिशंकर खटीक, सभापति** ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का तीसवां से अड़तालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
(5) **श्रीमती ललिता यादव, सभापति** ने महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति का कार्यान्वयन से संबंधित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
(6) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति** ने स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
(7) **श्री ठाकुरदास नागवंशी, सभापति** ने कृषि विकास समिति का तृतीय, चतुर्थ प्रतिवेदन तथा कार्यान्वयन से संबंधित सप्तम्, अष्टम्, नवम् एवं दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
(8) **श्री महेन्द्र हार्डिया, सभापति** ने पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का नवम् एवं दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) **श्री फूलसिंह बरैया (जिला-**रीवा)
(2) **इंजीनियर हरिबाबू राय (जिला-**अशोक नगर)
(3) **श्री पंकज उपाध्याय (जिला-**मुरैना)
(4) **श्री बाला बच्चन (जिला-**बड़वानी)
(5) **श्री महेन्द्र नागेश (जिला-**नरसिंहपुर)
(6) **श्री विश्वामित्र पाठक (जिला-**सिंगरौली)
(7) **श्री अभय मिश्रा (जिला-**रीवा)
(8) **श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-**धार)
(9) **श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया (जिला-**नरसिंहपुर)
(10) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-**टीकमगढ़)
(11) **श्री प्रदीप पटेल (जिला-**मऊगंज)
(12) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-**अनूपपुर)
(13) **श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-**अलीराजपुर)
(14) **श्री विपीन जैन (जिला-**मंदसौर)
(15) **श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-**सागर)
(16) **श्री अनिल जैन (जिला-**निवाड़ी)
(17) **श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-**अनूपपुर)
(18) **डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-**धार)
(19) **श्री नीरज सिंह ठाकुर (जिला-**जबलपुर)

(20) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिंदवाड़ा)

(21) श्री भैरो सिंह बापू (जिला-आगर-मालवा)

(22) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)

(23) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)

(24) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)

(25) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)

(26) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)

(27) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)

(28) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)

(29) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)

(30) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)

(31) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)

(32) श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-शिवपुरी)

(33) श्री केशव देसाई (जिला-रायसेन)

(34) श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-ग्वालियर)

(35) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)

(36) श्री मोंटू सोलंकी (जिला-बड़वानी)

(37) श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-बालाघाट)

(38) श्रीमती प्रियंका पैंची (जिला-गुना)

(39) श्री दिनेश राय मुनमुन (जिला-सिवनी)

(40) श्री विवेक विक्की पटेल (जिला-बालाघाट)

(41) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)

(42) श्रीमती छाया गोविन्द मोरे (जिला-खण्डवा)

(43) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)

(44) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)

(45) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)

(46) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)

(47) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)

(48) श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-रतलाम)

(49) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-सीहोर)

(50) श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-छतरपुर)

(51) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)

(52) श्री सुनील उईके (जिला-छिंदवाड़ा)

(53) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा

(54) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह (जिला-मैहर)

(55) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)

(56) श्री सचिन बिरला (जिला-खरगोन)

(57) श्री सिद्धार्थ तिवारी (जिला-रीवा)

(58) **श्री भगवानदास सबनानी (जिला-**भोपाल)

(59) **श्रीमती कंचन मुकेश तनवे (जिला-**खण्डवा)

(60) **श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला-**खरगोन)

(61) **श्री देवेन्द्र पटेल (जिला-**रायसेन)

(62) **डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-**हरदा)

(63) **श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-**झाबुआ)

(64) **श्री दिनेश गुर्जर (जिला-**मुरैना)

(65) **श्री बृज बिहारी पटैरिया (जिला-**सागर)

9. वर्ष 2026-2027 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने वर्ष 2026-2027 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) **श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 (क्रमांक 12 सन् 2026) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री आरिफ मसूद

11. अध्यक्षीय व्यवस्था

विधेयक के पुर:स्थापन संबंधी

श्री उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि अध्यक्ष के स्थायी आदेश अध्याय-5 में स्पष्ट है कि पुर:स्थापन के लिये कोई विधेयक किसी दिन की कार्य-सूची में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक की उनकी प्रतियां उस दिन से जब कि विधेयक का पुर:स्थापन आशयित हो कम से कम दो दिन पूर्व सदस्यों के उपयोग के लिये सूचना कार्यलाय में उपलब्ध न करा दी गई हो. यह तो दो दिन पूर्व नहीं आया. कल अचानक ही आया. आज इतनी अचानक आवश्यकता क्यों. इसमें मैं समझता हूं कि कार्यवाही के अंदर भी कोई व्यवस्था आपने नहीं दी है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि सामान्य तौर पर हम सब इस बात को भलीभांति जानते है कि कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा के पश्चात् ही विधेयक सदन में प्रस्तुत होने के लिये आते है और सदस्यों को वितरित भी होते है. यही प्रक्रिया अपनाई गई है और सामान्य तौर पर कभी-कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है कि सरकार को अगर विधेयक की अर्जेन्सी अगर हो तो सरकार तत्काल भी बिल ला सकती है और इसमें पूर्व आदेश लेकर उस बिल पर उस दिन भी चर्चा करायी जा सकती है.

12. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में प्रतिपक्ष की बात न सुने जाने के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में आए और नारेबाजी की गई.

व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 01.11 बजे स्थगित की जाकर अपराह्न 1.23 बजे पुन: समवेत हुईं.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

13. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में प्रवेश किया और नारेबाजी की गई.

व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 01.43 बजे स्थगित की जाकर अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

14. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में प्रवेश किया और नारेबाजी की गई.

15. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा दर्शक दीर्घा में देवरी क्षेत्र के उत्कृष्ट विद्यालय में के छात्रों पर उपस्थित होने पर उनका स्वागत उल्लेख किया गया.

16. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

2. श्री रामेशवर शर्मा
3. श्री उमाकांत शर्मा
4. श्री हरदीप सिंह डंग

उपर्युक्त के अतिरिक्त श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने भी अपने विचार रखें

तदुपरांत डॉ. मोहन यादव (मुख्यमंत्री) ने चर्चा का उत्तर दिया.

संशोधन अस्वीकृत हुआ
विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 204 तथा अनुसूची एक से सात इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बना.

श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 (क्रमांक 12 सन् 2026) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) **श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) पर विचार किया जाय.

व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 03.10 बजे स्थगित की जाकर अपराह्न 3.29 बजे पुन: समवेत हुई.

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए}

17. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री अभय मिश्रा
2. श्री रामेश्वर शर्मा
3. श्री ओमकार सिंह मरकाम

18. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा नरसिंहपुर विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं का सदन की दीर्घा में के उपस्थित होने पर सदन की ओर से उनका स्वागत किया गया।

19. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

4. श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी
5. श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी
6. श्री दिनेश गुर्जर
7. श्री निलेश पुसाराम उईके
8. श्री सोहनलाल बाल्मिक
9. डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान

तदुपरांत श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 4 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बना.

श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(3) **श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री बाला बच्चन
2. श्री ओमप्रकाश सखलेचा

तदुपरांत श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 40 इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बना.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2026 (क्रमांक 17 सन् 2026) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री नारायण सिंह पट्टा

20. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री शिवमंगल सिंह, सांसद, श्योपुर-मुरैना का सदन की ओर से उनका स्वागत किया गया।

2. डॉ. अभिलाष पाण्डेय

21. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में सम्मिलित समस्त कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

22. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए}

3. श्री कैलाश कुशवाह
4. श्रीमती अर्चना चिटनिस

तदुपरांत श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

23. अध्यक्षीय घोषणा

सदन की लॉबी में चाय की व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ''माननीय सदस्यों के लिये चाय की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्य सुविधानुसार चाय ग्रहण करने का कष्ट करें.''

24. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बना.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2026 (क्रमांक 17 सन् 2026) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

25. बहिर्गमन.

श्री भंवरसिंह शेखावत, सदस्य, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा नीट परीक्षाओं में हुई गडबडियों को लेकर सदन से बहिर्गमन किया.

(5) **श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 18 सन् 2026) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री अजय विश्नोई

तदुपरांत श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 27 एवं अनुसूची 1 से 5 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बना.

श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 18 सन् 2026) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(5) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त)** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री गौरव सिंह पारधी

तदुपरांत श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 और 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बना.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(7) **श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा)** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 (क्रमांक 14 सन् 2026) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री अनिल जैन कालूहेडा

तदुपरांत श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा) ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 66 एवं अनुसूची एक एवं दो इस विधेयक अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बना.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 (क्रमांक 14 सन् 2026) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(8) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर)** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026) पर विचार किया जाय.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 4 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बना.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 06.53 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 31, शक संवत् 1948) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक : 21 जुलाई, 2026